न्यायालयः— अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, के. पाटन, जिला बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— डॉ. ऋचा चायल, आर.जे.एस.
सी.आई.एस. नंबर :— Cri.Reg.Case/08/2021
सी एन आर नंबर :— RJBD080000212021

निर्णय दिनांकः—10.03.2026

आरक्षी केन्द्र के.पाटन, जिला बून्दी के मुकदमा संख्या 164/2019 अन्तर्गत धारा 341, 323 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 से उदभुत प्रकरण।

परिवादी	राजस्थान राज्य जरिए सहायक अभियोजन अधिकारी
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री राजकुमार डागर सहा. अभि. अधि.
अभियुक्त/अभियुक्तगण	**1. बिरजु उर्फ बृजमोहन** पुत्र हेमराज, निवासी वार्ड नं. 16 करकरा बाजार के.पाटन, पुलिस थाना के.पाटन, जिला बून्दी (राज.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्रीमति खुशी मोहम्मद, अधिवक्ता

अपराध की तिथि	11.05.2019
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	12.05.2019
आरोप पत्र की तिथि	06.01.2021
आरोप सांराश सुनाये जाने की तिथि	06.01.2021
साक्ष्य प्रारम्भ किये जाने की तिथि	22.07.2024
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तिथि	10.03.2026
निर्णय की तिथि	10.03.2026
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तिथि	10.03.2026

अभियुक्त का विवरण :—

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा किये जाने की तिथि	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दण्डादेश	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 द.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1.	बिरजु उर्फ बृजमोहन	—	—	धारा 341, 323 सपठित	दण्डादेश	धारा 341/34, 323/34 भा.दं.सं. में दोषसिद्ध	—

				धारा 34 भा.दं.सं.		किया जाकर परिवीक्षा अधिनियम धारा 4 व 5 का लाभ दिया गया	

अभियोजन साक्ष्य की सूची :–

(क) अभियोजन साक्षी :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अ.सा.–1	अनिल	ताईदी साक्षी
अ.सा.–2	दीनदयाल गोचर	रेडियोग्राफर
अ.सा.–3	रामसेवक	ताईद पर्चा बयान लाना व एफ.आई.आर. चाक करना
अ.सा.–4	डॉ. महावीर दीक्षित	चिकित्सकीय साक्षी
अ.सा.–5	कृष्णदत्त	ताईदी साक्षी
अ.सा.–6	भंवरलाल	ताईदी साक्षी
अ.सा.–7	शिवनारायण	ताईदी साक्षी
अ.सा.–8	महावीर प्रसाद जोशी	अनुसंधानकर्ता
अ.सा.–9	शाकिर हुसैन	ताईदी साक्षी

(ख) प्रतिरक्षा साक्षी :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
बचाव साक्षी –	–	

(ग) न्यायालय साक्षी :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
न्यायालय साक्षी–	–	

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची

(क) अभियोजन :–

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्र.पी.–1	पुलिस बयान गवाह अनिल
2.	प्र.पी.–2	नक्शा मौका घटनास्थल
3.	प्र.पी.–3	एक्स–रे प्लेट कवर नोट आहत रामलाल
4.	प्र.पी.–4, पी–5 व पी–6	एक्स–रे प्लेट
5.	प्र.पी.–7	एक्स–रे प्लेट कवर नोट आहत मुकुट विहारी
6.	प्रदर्श पी.–8, पी–9, पी–10	एक्स–रे प्लेट
7.	प्र.पी.–11	पर्चा बयान गवाह मुकुट विहारी

8.	प्र.पी—12	चाक एफ.आई.आर.
9.	प्र.पी.—13	चोट प्रतिवेदन आहत रामलाल
10.	प्र.पी.—14	पुलिस बयान गवाह कृष्णदत्त
11.	प्र.पी—15	पुलिस बयान गवाह शिवनारायण
12.	प्र.पी.—15ए	चोट प्रतिवेदन आहत मुकुट विहारी
13.	प्र.पी—16	सीओ के.पाटन द्वारा चिकित्सा अधिकारी से मांगी गयी राय व दी गयी राय।

नोट — चोट प्रतिवेदन आहत मुकुट विहारी को प्र.पी.—15ए के रूप में पढ़ा जा रहा है।

(ख) प्रतिरक्षा :—

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	—	—

(ग) न्यायालय प्रदर्श :—

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	—	—

(घ) आवश्यक वस्तुयें :—

क्रम संख्या	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
1.	—	—

— :: निर्णय ::—

1. प्रकरण के मूलतः तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी मुकुट विहारी ने दौरान इलाज सी.एस.सी. के.पाटन में पर्चा बयान इस आशय के दिये कि दिनांक 11.05.2019 को समय करीब रात्रि 9 बजे वह तथा बालचन्द ओझा दोनों मधुसुदन के चबूतरे बैठै और बाते कर रहे थे, वहां पर शिवा पण्डित उनके पास आया और उन्हें बताया कि भैरुजी मन्दिर के पीछे दो—तीन व्यक्ति लकड़ी लेकर बैठे हैं। उसी समय डी जे साउण्ड निकला तो उसे देखने लगे। इसके बाद उसके पास ही रामलाल प्रजापत आ गया, फिर वे दोनों घर के लिये मोटरसाईकिल से रवाना हो गये, तो कुछ ही दूरी पर रवाना हुये तो पीछे अतुल व बुजमोहन आ गये और उसके साथ लकड़ी की सिर पर मार दी व उसके साथ रामलाल के साथ भी मारपीट कर दी मारपीट होने से वे दोनों मोटरसाईकिल सहित गिर गये, जब वे चिल्लाये तो भंवरलाल आये, जिन्हें देखकर वे लोग वहां से भाग गये। इसके बाद शाकिर हुसैन आ गया और उन दोनों को अस्पताल लेकर आया, वहां पर इलाज कराया। मारपीट से उसके सिर में बायीं तरफ कनपटी पर, बायें

हाथ पर चोटें आ गयी तथा रामलाल के बायीं तरफ सिर में दाहिने हाथ पर चोटें आ गयी इन लोगों ने उनके साथ अचानक ही मारपीट की।

2. उक्त तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर आरक्षी केन्द्र के.पाटन में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या—164/2019 अंतर्गत धारा 308, 323, 341 भारतीय दंड संहिता 1860 (आगे भा.दं.सं. 1860 से विर्निदिष्ट किया जायेगा) दर्ज की गई और बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध अंतर्गत धारा 341, 323, 34 भा.दं.सं. 1860 का अपराध प्रमाणित पाया जाकर न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र पेश किया गया। आरोप पत्र में उपलब्ध सामग्री से अभियुक्त के विरूद्ध अंतर्गत धारा 341, 323, 34 भा.दं.सं. 1860 का अपराध प्रथम दृष्टया बनना पाये जाने पर उक्त अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. आरोप पत्र की सुस्पष्ट प्रति अभियुक्त के अधिवक्ता को उपलब्ध करवाई गई। गवाहान के बयान तथा उपलब्ध अन्य सामग्री के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 341, 323 सपठित धारा 34 भा.दं.सं., 1860 का अपराध प्रथम दृष्टया बनना पाये जाने पर आरोप सारांश मौखिक रूप से अभियुक्त को सुनाया समझाया गया, तो अभियुक्त ने आरोपित अपराध से इंकार कर अन्वीक्षा चाही, जिस पर साक्ष्य में नियत किया गया।

4. अभियोजन की ओर से कुल 09 साक्षी परीक्षित करवाये गये और प्रदर्श 1 से 16 तक प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये गये। पत्रावली पर अभियोजन की ओर से पेश की गई मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं., 1973 में परीक्षित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने गवाहान द्वारा किये गये कथन को गलत होना जाहिर किया है तथा यह भी कथन किया गया कि वे निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त पक्ष ने साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना जाहिर किया, तत्पश्चात् साक्ष्य सफाई बंद की गई।

5. बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिये हैं कि पत्रावली पर संलग्न समस्त साक्ष्य सामग्री से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होता है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया गया।

6. दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा तर्क दिया गया कि हस्तगत प्रकरण में स्वयं परिवादी व आहत न्यायालय के समक्ष बतौर गवाहान

परीक्षित नहीं हुये हैं। मौके के चश्मदीद गवाह के बयानों में भारी विरोधाभास रहा है। स्वतंत्र गवाहान अभियोजन कहानी की पुष्टि नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जावे।

7. सुना गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अभियुक्त पर आरोपित अपराध के संबंध में पत्रावली पर आई साक्ष्य के आधार पर न्यायालय को निम्न विचारणीय बिन्दु के संबंध में विवेचन करना है—

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 11.05.2019 को समय रात्रि करीब 9 बजे या उसके लगभग ग्राम भेरुजी जी के मंदिर के पास के.पाटन, पुलिस थाना के.पाटन, जिला बून्दी में मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादी मुकुट विहारी एवं रामलाल को उसकी इच्छित दिशा विशेष में जाने से निवारित कर सदोष अवरोध कारित किया तथा परिवादी पक्ष के साथ मारपीट कर उन्हें साधारण उपहतियां कारित की?

2. यदि हां, तो अभियुक्तगण के लिये उचित दण्ड क्या होगा?

8. प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 09 गवाहान् न्यायालय के समक्ष परीक्षित करवाये गये हैं। गवाह पी.डब्ल्यू—1 अनिल, पी.डब्ल्यू—5 कृष्णदत्त, पी.डब्ल्यू—6 भंवरलाल, पी.डब्ल्यू—7 शिवनारायण, पी.डब्ल्यू—9 शाकिर हुसैन, ताईदी साक्षीगण है एवं पी.डब्ल्यू— 2 दीनदयाल गोचर रेडियोग्राफर, पी.डब्ल्यू— 3 रामसेवक ताईद पर्चा बयान व एफ.आई.आर. चाक करने वाला, पी.डब्ल्यू—4 डॉ. महावीर दीक्षित आहत की चोटों का मेडिकल मुआयना करने वाला चिकित्सक है, पी.डब्ल्यू—8 महावीर प्रसाद जोशी अनुसंधानकर्ता हस्तगत प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है।

9. सर्वप्रथम गवाह पी.डब्ल्यू—6 भंवरलाल जो कि ताईदी साक्षी गवाहान है, के बयानों का अवलोकन किया गया, जिसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किये गये हैं कि बयानों से पांच छह साल पहले की बात है। वह, मुकुट बिहारी, अनिल, कृष्णदत्त, मधुसदन के चबूतरे पर बैठे हुए थे, तभी वहां पर शिवनारायण आया, जिसने बताया कि भैरूजी मंदिर के पीछे दो व्यक्ति लकड़ी लेकर बैठे है। रात के सात आठ बजे मुकुट बिहारी व

रामलाल दोनों मोटरसाइकिल से रवाना होने लगे तो वहां पर बृजमोहन व अतुल आये, जिन्होंने मुकुट बिहारी व रामलाल की मोटरसाइकिल रोक ली। आप अभियुक्त ने मुकुट बिहारी के सिर पर मारी। रामलाल के भी सिर पर मारी। उसने व आस पास के लोगों ने बीच बचाव किया। मुकुट बिहारी व रामलाल को वह तथा शाकिर अस्पताल लेकर गए।

10. जिरह में गवाह यह गलत होना बताता है कि उसने मारपीट करते हुये नहीं देखा हो तथा जिस जगह मारपीट हुयी वहां अंधेरा हो। यह सही होना बताता है कि उसने बीचबचाव नहीं किया। रामलाल के सिर पर लकड़ी से बिरजू ने मारी थी। अतुल के पास क्या था, उसे याद नहीं है तथा उसने अतुल को मारपीट करते हुये नहीं देखा।

11. गवाह पी.डब्ल्यू—9 शाकिर हुसैन जो कि ताईदी साक्षी है। उक्त गवाह अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि बयानों से छह—सात साल पहले रात को आठ—नौ बजे की बात है। वह बाजार से घर जा रहा था। करकरा बाजार में उसे रास्ते में मुकुट बिहारी व रामलाल मिले। मुकुट के सिर में खून आ रहा था। रामलाल के भी सिर में चोट लगी हुई थी। मुकुट बिहारी ने उसे बताया कि उसके आप अभियुक्त ने लकड़ी की मारी है। वह, रामलाल व मुकुट बिहारी को अस्पताल के.पाटन लेकरग गया था।

12. जिरह में गवाह कथन करता है कि उसने मारपीट करते हुये नहीं देखा। वहां पर बिरजू नहीं था। रमालाल ने उसे कुछ नहीं बताया। मुकुट बिहारी ने उसे यह नहीं बताया कि उसके साथ कितने बजे व कहां पर मारपीट हुयी थी।

13. गवाह पी.डब्ल्यू—5 कृष्णदत्त, जो कि ताईदी साक्षी है। उक्त गवाह द्वारा मुख्य परीक्षा में अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करने से उक्त गवाह को अभियोजन अधिकारी द्वारा पक्षद्रोही घोषित कराया गया। तथा गवाह अभियोजन अधिकारी द्वारा की गयी जिरह में कथन करते हुये यह गलत होना बताता है कि दिनांक 11.05.2019 को वह, मुकुट विहारी, अनिल मालव, भंवरलाल प्रजापत के चबूतरे पर बैठे हो तब शिवनारायण आया हो और उसने बताया हो कि भैरूजी के मंदिर के पीछे दो व्यक्ति लकड़ी लेकर बैठे हैं तथा रात के नो बजे मुकुट विहारी, रामलाल मोटरसाईकिल से रवाना हुये तब बृजमोहन व अतुल ने उनकी मोटरसाईकिल को रोककर मुकुटविहारी के बिरजू ने लकड़ी की मारी और रामपाल के भी लकड़ी से मारपीट की हो। गवाह को पुलिस बयान प्रदर्श

पी—14 का ए से बी भाग पढ़कर सुनाया तो गलत होना बतया। यह गलत होना बताता है कि मुलजिम को बचाने के लिये झूठे बयान दे रहा है।

14. गवाह पी.डब्ल्यू—7 शिवनारायण, जो कि ताईदी साक्षी है। उक्त गवाह द्वारा मुख्य परीक्षा में अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करने से, उक्त गवाह को अभियोजन अधिकारी द्वारा पक्षद्रोही घोषित कराया गया। तथा गवाह अभियोजन अधिकारी द्वारा की गयी जिरह में कथन करते हुये यह गलत होना बताता है कि दिनांक 11.05.2019 को 9 बजे बिरजू मेघवाल लकड़ी लेकर भैरूजी की छतरी के पास खड़ा हो, जिसे उसने पूछा हो कि लकड़ी की किसके दे रहा है, तो उसने कहा कि अभी देख लेना तथा बाद में उसने सुना हो कि मुकुट विहारी व रामलाल के साथ बिरजू ने लकड़ी से मारपीट की। यह गलत होना बताता है कि मुलमिज को बचाने के लिये झूठे बयान दे रहा है।

15. गवाह पी.डब्ल्यू—3 रामसेवक जो कि ताईद पर्चा बयान व एफ.आई. आर. की ताईदी का गवाह है अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वह दिनांक 11.05.2019 को थाना के.पाटन में एसआई के पद पर कार्यरत था। उस दिन वह थाना इंचार्ज था। उस दिन सीएचसी के.पाटन पर मजरूब मुकट बिहारी का पर्चा बयान लिया था, जो अस्पताल में जैर इलाज था। पर्चा बयान प्रदर्श पी—11 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर, सी से डी कार्यवाही पुलिस, ई से एफ मजरूब मुकुट बिहारी के हस्ताक्षर है। वापसी थाने पर प्रकरण संख्या 164/2019 धारा 341, 323, 308, 34 भा.दं.सं. में दर्ज कर अनुसंधान वृत्ताधिकारी महावीर प्रसाद को सुपुर्द किया था। चाक एफआईआर प्रदर्श पी—12 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

16. गवाह पी.डब्ल्यू—4 डॉ. महावीर दीक्षित अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वह दिनांक 11.05.2019 को सीएचसी के.पाटन में उपनिदेशक के पद पर कार्यरत था। उस दिन थानाधिकारी के.पाटन के प्रतिवेदन पर मजरूब रामलाल के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल मुआयना किया था। चोट संख्या 1 सूजन 3 गुणा 2 गुणा 1 सेमी सिर के बांये तरफ कारित थी। जिसके लिए एक्सरे की सलाह दी गई। चोट संख्या 2 सूजन 2 गुणा 1 गुणा 1 सेमी दांये हाथ पर कारित थी। जिसके लिए एक्सरे की सलाह दी गई। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी—13 उसकी कलमी है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व सी से डी उसकी राय है। एक्सरे प्लेट नंबर 187, 188, 189 दिनांक 14.05.2019 सीएचसी के.पाटन को देखने पर चोट संख्या 1 व 2 साधारण प्रकृति की पाई गई। उसी दिन उसने मजरूब मुकुटबिहारी पुत्र घनश्याम निवासी के. पाटन के शरीर पर आई

चोटों का मेडिकल मुआयना किया था। जो निम्न प्रकार थीं :— चोट नंबर 1— कुचला हुआ घाव 2 गुणा 1 गुणा 1 सेमी जो सिर के बांए तरफ कारित थी। कुंद हथियार से कारित थी, जिसके लिए उसने एक्सरे एडवाईज किया। चोट नंबर 2— सूजन 3 गुणा 2 गुणा 1 सेमी जो बांए हाथ की कलाई पर कारित थी। चोट कुंद हथियार से कारित थी, जिसके लिए मैने एक्सरे एडवाईज किया। चोट नंबर 1 व 2 की अवधि 24 घंटे के अंदर की थी। बाद एक्सरे प्लेट नंबर 184, 185, 186 दिनांक 14.05.2019 राजकीय चिकित्सालय के. पाटन के अवलोकन के बाद दोनों चोटें साधारण प्रकृति की पाई गईं। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी—15 उसका कलमी है जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं, सी से डी उसकी अंतिम राय अंकित है। कॉलम नंबर 6 पर मजरूब का पहचान चिन्ह अंकित है। दिनांक 14.06.2019 को सीओ के. पाटन ने उससे मजरूब मुकुटबिहारी व रामलाल के सिर पर आई चोट के बारे में पूछा था कि क्या उक्त चोट प्राणघातक है या नहीं जिस पर उसके द्वारा बताया गया कि उक्त मजरूबान के चोट नंबर 1 व 2 प्राणघातक नहीं है। सीओ के. पाटन द्वारा उससे, मांगी गई राय प्रदर्श पी—16 है जिसपर ए से बी उसकी राय व सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं।

17. जिरह में गवाह कथन करता है कि उपरोक्त सभी चोटे गिरने—पड़ने से आना संभव है।

18. गवाह पी.डब्ल्यू—2 दीनदयाल गोचर अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वह दिनांक 14.05.2019 को सीएचसी के.पाटन में रेडियोग्राफर के पद पर कार्यरत था। उस दिन उसने डॉ. महावीर दीक्षित के एक्सरे प्रतिवेदन के आधार पर मजरूब रामलाल के सिर तथा बायें हाथ की कलाई का एक्सरे किया था। जिसकी एक्सरे प्लेट नंबर 187, 188, 189 है। एक्सरे प्लेट कवर नोट प्रदर्श पी—3 है। एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी—4, पी—5 व पी—6 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

19. गवाह पी.डब्ल्यू—8 महावीर प्रसाद जोशी अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वह दिनांक 12.05.2019 को वृत्ताधिकारी के.पाटन के पद पर कार्यरत था। उस दिन आईसी थाना रामसेवक एसआई ने प्रकरण संख्या 164/2019 धारा 341, 323, 308, 34 भा.दं.सं. में दर्ज कर अ नुसंधान उसे सुपुर्द किया था। दौराने अनुसंधान उसने परिवादी मुकुट बिहारी, रामलाल, कृष्णदत्त, भंवरलाल, शाकिर, शिवनारायण के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किए। घटनास्थल का नक्शा मौका दिनांक 17.05.2019 को परिवादी मुकुट बिहारी की निशानदेही से बनाया जो प्रदर्श पी—2 है जिस पर सी से डी उसके, ई से एफ मुकुट बिहारी के हस्ताक्षर

है। मजरूब रामलाल व मुकुट बिहारी की चोटों का मेडिकल मुआयना करवाकर रिपोर्ट शामिल पत्रावली की। अनुसंधान से अभियुक्तगण बिरजू उर्फ ब्रजमोहन तथा विधि से संघर्षरत बालक अतुल के विरूद्ध धारा 341, 323, 34 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर पत्रावली थानाधिकारी के.पाटन को सुपुर्द की जिनके द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया।

20. जिरह में उक्त गवाह कथन करता है कि उसने गवाहों के बयान परिवादी मुकुट विहारी के बताये, अनुसार गवाहों के बयान लेखबद्ध किये। जैसे गवाहों ने कहा वैसे ही लिखा था। गवाह यह गलत होना बताता है कि उसने स्वतंत्र गवाहों के बयान नहीं लिये हो, बल्कि स्वतंत्र गवाह अनिल के बयान लिये थे तथा यह सही होना बताता है कि उसने 308 आई.पी.सी. का अपराध प्रमाणित नहीं माना तथा उक्त प्रकरण का परिवादी कॉस केस एफ.आई.आर. नंबर 165/2019 में मुलजिम था एवं दोनों प्रकरणों का अनुसंधान उसने ही किया था।

21. हस्तगत प्रकरण में अभियोजन कहानी के क्रम में स्वयं परिवादी मुकुट बिहारी, उसकी मृत्यु होने से न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं हुआ है और न ही आहत रामलाल न्यायालय के समक्ष बतौर गवाह पेश हुआ है, परन्तु अभियोजन कहानी के अनुसार चूंकि न्यायालय के समक्ष यह प्रकट आया है कि परिवादी द्वारा अपने पर्चा बयान में यह जाहिर किया गया था कि दिनांक 11.05.2019 को अभियुक्त बृजमोहन तथा अतुल द्वारा मिलकर परिवादी मुकुट विहारी तथा रामलाल के साथ लकड़ी से मारपीट कर उनके चोटें कारित की और मौके पर भंवरलाल पुत्र हरिप्रसाद के पहुंचने पर उक्त अभियुक्तगण वहां से भाग गये और शाकिर हुसैन आहतगण को हॉस्पीटल लेकर गया, जिसके क्रम में चश्मदीद गवाह पी. डब्ल्यू—6 भंवरलाल स्पष्ट रूप से अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन पक्ष की कहानी का पूर्ण समर्थन करता है और यह दर्शाता है कि घटना की दिनांक को अभियुक्त बिरजू मेघवाल द्वारा परिवादी मुकुट विहारी तथा आहत रामलाल के सिर पर मारी थी, जिससे उनके चोटें आयीं। जिरह में भी उक्त गवाह स्पष्ट रूप से अभियुक्त बिरजू द्वारा आहतगण के लकड़ी से वार कर चोटें पहुंचाना पुष्ट करता है और गवाह की जिरह में भी मौके की घटना को लेकर लेशमात्र भी विरोभास नहीं रहा है।

22. घटना का ताईदी गवाह पी.डब्ल्यू—9 शाकिर हुसैन भी अपनी मुख्य परीक्षा में यह दर्शाता है कि घटना की दिनांक को जब वह बाजार से घर जा रहा था, तो उसने रास्ते में आहतगण परिवादी मुकुट विहारी तथा रामलाल के सिर में खून आते देखा था और परिवादी मुकुट विहारी ने

उसे बताया कि अभियुक्त बिरजू द्वारा लकड़ी से मारने के कारण उसके सिर पर चोटें आयीं थी। तब उक्त गवाह शाकिर हुसैन आहतगत को हॉस्पीटल लेकर गया। हालांकि गवाह की जिरह में यह दर्शित आया है कि उसने अभियुक्त को आहतगण के साथ मारपीट करते नहीं देखा और न ही अभियुक्त बिरजू को मौके पर देखा था, परंतु चूंकि उक्त गवाह स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि जब वह मौके पर पहुंचा, तब आहतगत के सिर में चोटें थीं और इस तथ्य की पुष्टि गवाह पी.डब्ल्यू—6 भंवरलाल की अटल साक्ष्य से होती है कि आहतगण के जो चोटें थीं, वह अभियुक्त बिरजू द्वारा की गयी मारपीट के परिणामस्वरूप आयी थीं। ऐसी स्थिति में उक्त गवाह पी.डब्ल्यू—9 शाकिर हुसैन घटना की संपूर्ण कड़ी को जोड़ने हेतु सक्षम साक्षी है और उक्त गवाह भी परिस्थितिजन्य साक्षी के रूप में अभियोजन कहानी का पूर्ण समर्थन करता है।

23. हालांकि मौके के अन्य गवाहान पी.डब्ल्यू—1 अनिल, पी.डब्ल्यू—5 कृष्णदत्त, पी.डब्ल्यू—7 शिवनारायण आदि द्वारा मौके की घटना की पुष्टि नहीं गयी है, अपितु उक्त समस्त गवाहान पक्षद्रोही हुये हैं और लेशमात्र भी अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करते हैं, तो भी चूंकि हस्तगत प्रकरण के चश्मदीद गवाह पी.डब्ल्यू—6 भंवरलाल की साक्ष्य से मौके की संपूर्ण घटनाक्रम की पुष्टि हुयी है। ऐसी स्थिति में उक्त गवाहान के पक्षद्रोही हो जाने से अभियोजन के मामले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गवाह पी.डब्ल्यू—4 डॉ. महावीर दीक्षित द्वारा आहतगण रामलाल तथा मुकुट विहारी का चोट प्रतिवेदन तैयार किया गया, वह स्पष्ट रूप से घटना की दिनांक को आहतगण रामलाल तथा मुकुट विहारी के शरीर पर चोटे आना कहता है, जिसकी पुष्टि गवाह पी.डब्ल्यू—6 भंवरलाल की साक्ष्य के माध्यम से इस बाबत होती है कि आहतगण के शरीर पर बतौर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी—13 तथा प्र.पी.—15ए पर जो चोटें आयी थीं वे अभियुक्त बिरजू द्वारा की गयी मारपीट के परिणामस्वरूप ही आयी थीं।

24. प्रकरण में हालांकि नक्शा मौके का गवाह पी.डब्ल्यू—1 अनिल इस कथन को गलत होना बताता है कि उसके समक्ष पुलिस द्वारा नक्शा मौका बनाया गया हो, परन्तु गवाह ने प्रदर्श पी—2 नक्शे मौके पर स्वयं के हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है और चूंकि अनुसंधान अधिकारी पी. डब्ल्यू—8 से उक्त नक्शे मौके प्रदर्श पी—2 बाबत कोई जिरह नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में उक्त नक्शा मौका प्रदर्श पी—2 को संदेहप्रद नहीं माना जा सकता है।

25. प्रकरण में मौके के साक्षी भंवरलाल, ताईदी साक्षी शाकिर हुसैन की साक्ष्य से मौके की संपूर्ण घटना पुष्ट होती है। गवाहान की जिरह में

आहतगण की अभियुक्तगण से पूर्व रंजिश का कोई तथ्य प्रकट नहीं आता है, न ही ऐसी कोई प्रतिरक्षा अभियुक्त की ओर से ली गयी है। चूंकि उक्त दोनों गवाहान अपनी साक्ष्य से अभियोजन कहानी की पुष्टि करते हैं। ऐसे में आहतगत के परीक्षित नहीं हो पाने से भी अभियोजन कहानी पर कोई संदेह नहीं होता है।

26. इस प्रकार पत्रावली पर अभियोजन की ओर से पेश किये गये संपूर्ण साक्ष्य से अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 11.05.2019 को समय रात्रि करीब 9 बजे या उसके लगभग ग्राम भेरुजी जी के मंदिर के पास के. पाटन, पुलिस थाना के.पाटन, जिला बून्दी में मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादी मुकुट विहारी एवं रामलाल को उसकी इच्छित दिशा विशेष में जाने से निवारित कर सदोष अवरोध कारित किया तथा परिवादी पक्ष के साथ मारपीट कर उसे साधारण उपहतियां कारित की। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 341, 323 सपठित धारा 34 भा.दं.सं., 1860 में दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

27. परिणामस्वरूप **अभियुक्त बिरजु उर्फ बृजमोहन** पुत्र हेमराज, निवासी वार्ड नं. 16 करकरा बाजार के.पाटन, पुलिस थाना के.पाटन, जिला बून्दी (राज.) को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 341, 323 सपठित धारा 34 भा. दं.सं., 1860 में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्तगण के पूर्व में नियमित पेशी बाबत् प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

(डॉ. ऋचा चायल)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
के.पाटन, जिला बून्दी

सजा के बिन्दु पर सुना गया

28. दौराने बहस अभियुक्त अधिवक्ता का तर्क है कि हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त निर्दोष है। अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धि भी नहीं है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिये जाने का निवेदन किया गया। जबकि दौराने बहस अभियोजन अधिकारी का तर्क है कि हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त पर आरोपित अपराध की प्रकृति गंभीर है। अतः अभियुक्त को आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम का लाभ नहीं दिया जाकर सख्त से सख्त सजा दिये जाने का निवेदन किया गया।

29. सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर आया कि अभियुक्तगण की पूर्व की दोषसिद्धि से संबंधित कोई साक्ष्य पत्रावली पर पेश

नहीं की गई है। अभियुक्त वर्ष 2021 से प्रकरण में अन्वीक्षा भुगत रहा है। अभियुक्त के चरित्र, अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये इस स्तर पर अभियुक्त को सजा से दंडित नहीं किया जाकर आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

दण्डादेश

30. परिणामस्वरूप **अभियुक्त बिरजु उर्फ बृजमोहन** पुत्र हेमराज, निवासी वार्ड नं. 16 करकरा बाजार के.पाटन, पुलिस थाना के.पाटन, जिला बून्दी (राज.) को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर परिवीक्षा अधिनियम की धारा—4 के तहत आदेशित किया जाता है कि प्रत्येक अभियुक्त न्यायालय के संतोषप्रद 10,000/—रूपये की जमानत व इसी कदर राशि के स्वयं का मुचलका 06 माह की समयावधि के लिये, जो इस आशय हो कि उक्त अवधि में सदाचारी बने रहेगें तथा अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगें और न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर उपस्थित होकर दंड ग्रहण करेगें, प्रस्तुत कर तस्दीक करा देवें एवं अभियोजन व्यय के रूप में धारा—5 परिवीक्षा अधिनियम के तहत अभियुक्त 3000/— रूपये अक्षरे तीन हजार रूपये, इस प्रकार कुल 3,000/—रूपये (अक्षरे एक हजार रूपये) जमा करा देवें तो उन्हें परिवीक्षा पर छोड़ दिया जावे।

31. अभियुक्त द्वारा प्रकरण में अपील होने की स्थिति में अपीलीय न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने बाबत् धारा 437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत नियमित उपस्थिति बाबत् 10,000/— रूपये जमानत व इसी कदर राशि का स्वयं का मुचलका पेश करने के क्रम में उक्त जमानत मुचलके आगामी 06 माह तक प्रभावी रहेंगे।

32. बाद गुजरने मियाद अपील/निगरानी अभियोजन व्यय राशि 3000/—रूपये में से 1000/— रूपये परिवादी मुकुटविहारी एवं 1,000/—रूपये आहत रामलाल को बतौर क्षतिपूर्ति नियमानुसार अदा किये जावे तथा शेष राशि 1,000/—रूपये नियमानुसार राजकोष में जमा करवायी जावे।

(डॉ. ऋचा चायल)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
के.पाटन जिला बून्दी

33. निर्णय व दण्डादेश आज दिनांक **10 मार्च, 2026** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. ऋचा चायल)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

के.पाटन जिला बून्दी